

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/05/ 3384


दिनांक:- 24/3/05

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है।

1. इम्पीरीयल हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर शास्त्री नगर, जयपुर।
2. अग्रसेन आर्थोपेडिक हास्पिटल, सी-6 मालवीय नगर, जयपुर।
3. अपेक्स हास्पिटल (प्रा0) लिमिटेड, एस पी-6, मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर (छूट देय - 20प्रतिशत लेब चार्जज एवं 10 प्रतिशत इण्डोर चार्जज पर)।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदया का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष/आवासन आयुक्त /मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत..... रा0आ0म0..... ।
5. आवासीय अभियंता खण्ड..... रा0आ0म0..... ।
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल, जयपुर।
7. इम्पीरीयल हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर शास्त्री नगर, जयपुर।
8. अग्रसेन आर्थोपेडिक हास्पिटल, सी-6 मालवीय नगर, जयपुर।
9. अपेक्स हास्पिटल (प्रा0) लिमिटेड, एस पी-6, मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर ।
10. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली

